न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1564

1. सीताराम पुत्र रामदेव जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम नला का बालाजी कुडली तहसील व जिला सीकर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम नला का बालाजी कुडली तहसील व जिला सीकर।
3. महेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम नला का बालाजी कुडली तहसील व जिला सीकर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तहसील सीकर, जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत कुडली जरिये सचिव पंचायत समिति पीपराली, जिला सीकर।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 04.10.2017 मुकदमा संख्या 142/2017 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् रास्ते संबंधी अभियान 2016 उनवानी ग्राम पंचायत कुडली जरिये सरपंच बनाम तहसीलदार सीकर पर पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–13.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 04.10.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 29.07.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सीकर, जिला सीकर द्वारा दिनांक 26.12.2016 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार व संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व ग्राम नला का बालाजी, पटवार मण्डल कुडली, ग्राम पंचायत कुडली, तहसील सीकर के निजी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 323/1, 323/2, 340, 343/1, 343/2, 344, 1127/349, 1128/349, 1129/349, 1130/349, 673, 672, 674, 1095/676, 1096/676, 1097/676, 689/1, 689/2, 955/690, 806/541, 900/541 899/541, 901/541, 348 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा तहसीलदार सीकर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 26.12.2016 को सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर के क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यास को मूल ही नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु भिजवाये गये। लेकिन सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/393 दिनांक 17.08.2017

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा न्यास की भूमि में से उक्त प्रस्तावों में प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करने की अनापत्ति उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाई गयी।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम नला का बालाजी ग्राम पंचायत कुड़ली पटवार मण्डल कुड़ली के खसरा नं 323/1 रकबा 0.3800 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 323/2 रकबा 0.4600 हैक्ट. में से 0.09 हैक्ट., खसरा नं. 340 रकबा 0.5400 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 343/1 रकबा 0.3300 हैक्ट. में से 0.0250 हैक्ट., खसरा नं. 343/2 रकबा 0.0200 हैक्ट. में से 0.0050 हैक्ट., खसरा नं. 344 रकबा 0.3900 हैक्ट. में से 0.07 हैक्ट., खसरा नं. 1127/349 रकबा 0.2500 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 1128/349 रकबा 0.1000 में से 0.0250 हैक्ट., खसरा नं. 1129/349 रकबा 0.1053 हैक्ट. में से 0.0250 हैक्ट.,खसरा नं. 1130/349 रकबा 0.0447 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 673 रकबा 3.0600 हैक्ट. में से 0.10 हैक्ट. खसरा नं. 672 रकबा 1.3700 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 674 रकबा 1.4900 हैक्ट. में से 0.10 हैक्ट., खसरा नं. 1096/676 रकबा 0.6700 हैक्ट में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 1095/676 रकबा 1.0200 हैक्ट. में से 0.08 हैक्ट., खसरा नं. 1097/676 रकबा 0.5000 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 955/960 रकबा 1.9700 हैक्ट, में से 0.09 हैक्ट., खसरा नं. 689/1 रकबा 0.9600 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 689/2 रकबा 1.3500 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 806/541 रकबा 0.8600 हैक्ट. में से 0.06 हैक्ट., खसरा नं. 900/541 रकबा 0.2900 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 899/541 रकबा 0.2900 हैक्ट, में से 0.03 हैक्ट., खसरा नं. 901/541 रकबा 0.2800 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट., खसरा नं. 348 रकबा 0.57 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने व राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सीकर को निर्णय व नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि उक्त. खसरा नम्बर कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में रास्ते का पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुऐ रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस इसी निर्णय का भाग रहेगा। उक्त आदेश में वर्णित किसी खसरा नम्बरान के लिए यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश हो तो उस खसरे के लिए यह आदेश अप्रभावी रहेगा। तद्नुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2017 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 04.10.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स सीताराम पुत्र रामदेव व अन्य द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर दिनांक 04.10.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया जाता। मौजूदा प्रकरण मे अपीलार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 673 रकबा 3.06 है0 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित है, भूमि पर उनका कब्जा है तथा भूमि का वो उपयोग उपभोग करते है। उपरोक्त भूमि में उन्होने रहवास हेतु मकान बना रखा है, सौर उर्जा लगा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रखी है तथा अन्य विधुत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है लेकिन इसके बाजवूद तहसीलदार सीकर (राज०) ने बिना किसी आधार के बिना कोई रास्ता हुए कुछ व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये मिलीभगत कर रंजिश पूर्वक कार्यवाही करवाई है। उक्त तथ्य पर उपखण्ड अधिकारी ने कोई ध्यान नही दिया और अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि तहसीलदार सीकर द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो किसी विधिक आधार पर आधारित नही थी बल्कि राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उनके निर्देशानुसार व उनके दबाव व प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट तहसीलदार से बनवाई गई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि मौके पर खसरा न० 673 रकबा 3.06 है०. में से कभी कोई रास्ता नही रहा तथा ना ही मौके पर आज कायम है, केवल एक पगडण्डी पुरानी बनी हुई है जिस पर अपीलार्थीगण के पारिवारिक सदस्य जो सीमा से लगते हुए अन्य खेत में आवागमन करते है उनकी सुविधा हेतु अपीलार्थीगण ने वो पगडण्डी कायम कर रखी है जिसको उपखण्ड अधिकारी ने रास्ता मानकर मौके पर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा ना ही उन्हें फर्द मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई। केवल कुछ व्यक्ति जो अत्यधिक राजनैतिक प्रभाव रखते है उनके दबाव में आकर प्रचलित पगडण्डी को नही दिखाकर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं0 673 में से 0.10 है0 रास्ता दिखाया गया है जो कतई विधिसम्मत नही है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थीगण की भूमि मे से जो रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट में दर्शाया गया है उस रास्ते का कोई वजूद नही है। क्योंकि वो रास्ता ना तो आगे से कोई आवागमन के रूप में काम में आ रहा है तथा ना ही अन्य किसी पडोसी खातेदारों को उक्त रास्ते का कोई उपयोग व उपभोग है। इसके बावजूद हल्का पटवारी व तहसीलदार की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त रास्ता कायम कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०) ने अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कही भी यह अंकन नही है कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुए बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान हो। उसके बावजूद राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र में अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है कि अपीलार्थीगण की उपरोक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा केवल 6 फीट की पगडण्डी मौजूद है जो अपीलार्थीगण के निजी उपयोग व उपभोग व उनके पारिवारिक सदस्यों की भूमि जो उनके उपरोक्त खेत की सीमा से लगते हुए खेत है उनमें आवागमन के रूप में काम में आ रही है। तहसीलदार द्वारा मिथ्या रिपोर्ट बनाकर उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०) के समक्ष प्रस्तुत की है जो ना तो मौकै के अनुरूप है तथा ना ही पक्षकारों के अधिकारों के अनुरूप है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थीगण की भूमि में से एक नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये है जो पूर्णता औचित्यहीन है जिसका केवल मात्र उद्धेश्य अपीलार्थीगण की भूमि में से रंजिशवश प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थीगण की खातेदारी समाप्त करना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही थी जिससे लेशमात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई प्रचलित रास्ता रहा हो या वर्तमान मे कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम में आ रहा हो। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है, कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा। उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उसकी प्रति सबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार सीकर व उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०) द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में कही यह अंकन नही किया कि उक्त खसरा नम्बरों में जो रास्ता कायम किया जा रहा है उसकी चौडाई कितनी होगी तथा उसकी लम्बाई कितनी होगी तथा प्रभावित खातेदार की भूमि में उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित किये जा रहे है तो उसके बदले में उसे क्या मुआवजा दिया जायेगा। इसका भी कही कोई अंकन नही है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व स्वयं ने जाकर भूमि का भौतिक सत्यापन नही किया वास्तविकता में मोके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता जहाँ कायम किया गया है उसका कोई वजूद नही है। बल्कि जहाँ रास्ता कायम किया गया है वहाँ अपीलार्थीगण के मकान बना हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं0 673 रकबा 3.06 है0 के सबंध में उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर भूमि को तीन भागों मे विभाजित कर नये खसरा नं0 1244/673 रकबा 0.32 है0 खसरा नं0 1245/673 रकबा 0.10 है०, खसरा नं.0 1246/673 रकबा 2.64 है। कायम कर अपीलार्थीगण के अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित किये है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी खातेदार को अपीलार्थीगण की भूमि में से नया रास्ता कायम कराने की कोई आवश्यकता ही नही है अपीलार्थीगण की भूमि में से 200 फीट रोड प्रस्तावित है जो ग्राम रामू का बास से झुन्झुनूं– सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोडती है। इसलिये किसी भी पक्षकार को रास्ते की कोई समस्या ही नही थी तथा उक्त प्रस्तावित सडक के उपर से अपीलाधीन आदेश में अंकित रास्ते को कायम किया गया है जो पूर्णतया रजिंशपूर्ण कार्यवाही प्रमाणित हो रही है। अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा अविवेचनापूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज०) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 04.10.2017 की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। हाल ही में जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा कथन किया गया कि खसरा नं0 1245/763, 1246/673 एवं अन्य खसरा नम्बरों की भूमि जो रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है उस पर अतिक्रमण कर रखा है जिसके पश्चात हल्का पटवारी दिनाक 17.07.2025 को मौके पर गये व अपीलार्थीगण से कथन किया कि उनकी भूमि खसरा नं0 673 रकबा 3.06 है० में से 0.10 है० भूमि रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दी गई है। इसलिये उन्हे 0.10 है0 भूमि में रास्ता कायम करना पडेगा तब अपीलार्थी सं० 1 ने कथन किया कि उनकी भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा तथा किस आधार पर अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता कायम किया गया। तब हल्का पटवारी ने अपीलार्थीगण से कथन किया कि दिनांक 04.10.2017 को कुछ राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों ने उनकी भूमि में से रास्ता कायम करवा लिया है। इसलिये या तो अपीलार्थीगण उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे अन्यथा उन्हें उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 04.10.2017 की पालना में रास्ता कायम करना पडेगा। तत्पश्चात अपीलार्थी सं० 1 ने उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में उपरोक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु पत्रावली को तलाश कराया तो अपीलार्थी को बताया गया कि उक्त प्रकरण की पत्रावली सं0 142/2017 माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली सीताराम बनाम ग्राम पंचायत कुडली के प्रकरण मे भेजी गई है। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने अधिवक्ता नियुक्त कर पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 24.07.2025 को आवेदन प्रस्तुत करवाया जिसकी उसे दिनांक 25.07.2025 को नकल प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 04.10.2017 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर दिनांक 04.10.2017 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राज़कीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2017 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2017 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 17.07.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार सीकर, जिला सीकर द्वारा दिनांक 26.12.2016 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार व संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व ग्राम नला का बालाजी, पटवार मण्डल कुडली, ग्राम पंचायत कुडली, तहसील सीकर के निजी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 323/1, 323/2, 340, 343/1, 343/2, 344, 1127/349, 1128/349, 1129/349, 1130/349, 673, 672, 674, 1095/676, 1096/676, 1097/676, 689/1, 689/2, 955/690, 806/541, 900/541 899/541, 901/541, 348 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा तहसीलदार सीकर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 26.12.2016 को सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर के क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यास को मूल ही नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु भिजवाये गये। लेकिन सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/393 दिनांक 17.08.2017 द्वारा न्यास की भूमि में से उक्त प्रस्तावों में प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज करने की अनापत्ति उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाई गयी।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम नला का बालाजी ग्राम पंचायत कुड़ली पटवार मण्डल कुड़ली के खसरा नं 323/1 रकबा 0.3800 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 323/2 रकबा 0.4600 हैक्ट. में से 0.09 हैक्ट., खसरा नं. 340 रकबा 0.5400 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 343/1 रकबा 0.3300 हैक्ट. में से 0.0250 हैक्ट., खसरा नं. 343/2 रकबा 0.0200 हैक्ट. में से 0.0050 हैक्ट., खसरा नं. 344 रकबा 0.3900 हैक्ट. में से 0.07 हैक्ट., खसरा नं. 1127/349 रकबा 0.2500 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 1128/349 रकबा 0.1000 में से 0.0250 हैक्ट., खसरा नं. 1129/349 रकबा 0.1053 हैक्ट. में से 0.0250 हैक्ट., खसरा नं. 1130/349 रकबा 0.0447 हैक्ट. में से 0.01 हैक्ट., खसरा नं. 673 रकबा 3.0600 हैक्ट. में से 0.10 हैक्ट. खसरा नं. 672 रकबा 1.3700 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 674 रकबा 1.4900 हैक्ट. में से 0.10 हैक्ट., खसरा नं. 1096/676 रकबा 0.6700 हैक्ट में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 1095/676 रकबा 1.0200 हैक्ट. में से 0.08 हैक्ट., खसरा नं. 1097/676 रकबा 0.5000 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 955/960 रकबा 1.9700 हैक्ट, में से 0.09 हैक्ट., खसरा नं. 689/1 रकबा 0.9600

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 689/2 रकबा 1.3500 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट., खसरा नं. 806/541 रकबा 0.8600 हैक्ट. में से 0.06 हैक्ट., खसरा नं. 900/541 रकबा 0.2900 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट., खसरा नं. 899/541 रकबा 0.2900 हैक्ट, में से 0.03 हैक्ट., खसरा नं. 901/541 रकबा 0.2800 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट., खसरा नं. 348 रकबा 0.57 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने व राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सीकर को निर्णय व नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि उक्त. खसरा नम्बर कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में रास्ते का पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुऐ रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शें में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस इसी निर्णय का भाग रहेगा। उक्त आदेश में वर्णित किसी खसरा नम्बरान के लिए यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश हो तो उस खसरे के लिए यह आदेश अप्रभावी रहेगा। तद्नुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2017 पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.10.2017 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2017 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.10.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कोल्वाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर